भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2225

(जिसका उत्तर सोमवार, 02 दिसंबर, 2019/11 अग्रहायण, 1941 (शक) को दिया गया)

खातों का विवरण भरना

2225. श्री के. मुरलीधरनः

श्री सुनील कुमार पिन्टूः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि कई कंपनियां अपने व्यापार खातों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के विवरण नहीं भर रही थीं;

(ख) यदि हां, तो भू-संपदा कंपनियों सहित ऐसी कंपनियों से संबंधित ब्यौरा क्या है जिन्होंने वर्ष 2014 से आगे उक्त अनिवार्य विवरण नहीं भरा है;

(ग) क्या उक्त कंपनियों के विरुद्ध सरकार द्वारा कोई कार्रवाई की गई है/करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी कंपनी-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) और (ख): जी, हां। वर्ष 2014 के बाद से वित्तीय विवरण फाइल न करने वाली स्थावर संपदा कंपनियां सहित सक्रिय कंपनियों की संख्या निम्नलिखित है:

	वित्तीय वर्ष 2014-15	**वित्तीय वर्ष 2015-16**	**वित्तीय वर्ष 2016-17**	**वित्तीय वर्ष 2017-18**
स्थावर संपदा कंपनियों के अलावा अन्य सक्रिय कंपनियों की संख्या	107060	135979	82588	135570
सक्रिय स्थावर संपदा कंपनियों की संख्या	4914	7436	3776	7266

जारी....2/-

(ग) और (घ): जी, हां। कंपनी अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, मंत्रालय द्वारा वित्तीय विवरण फाइल न करने वाली कंपनियों के विरूद्ध कंपनी रजिस्ट्रार के माध्यम से समय-समय पर अभियोजन फाइल किया जाता है और उक्त अवधि के दौरान वित्तीय विवरण फाइल न करने के लिए मंत्रालय द्वारा फाइल किए गए अभियोजनों की संख्या 11082 है। कंपनी रजिस्ट्रार को दो तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों की निरंतर अवधि के लिए वित्तीय विवरणों या वार्षिक विवरणी फाइल न करने वाली ऐसी कंपनियों का नाम कंपनी के रजिस्टर से हटाने का अधिकार है, बशर्ते कि उन कंपनियों ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 के अधीन निष्क्रिय कंपनी की स्थिति प्राप्त करने के लिए आवेदन नहीं किया हो। वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान, कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 के अधीन स्थावर संपदा कंपनियों सहित 3,38,963 कंपनियों के नाम को निरंतर दो या उससे अधिक वित्तीय वर्षों की अवधि के लिए वित्तीय विवरण या वार्षिक विवरणी फाइल न करने के कारण हटाया/काट दिया गया था।

****